सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2018 के विनियम 31(2) के साथ पठित विनियम 31 (3 एवं 4) और 12 के अधीन)

मैसर्स एस.आर पवॉयल्स् एण्ड टिशयु लि. – परिसमापन में हितधारकों के ध्यानार्थ हेतु

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2018 के विनियम 31(2) के साथ पठित विनियम 31 (3) एवं (4) के अनुसरण में एतद्द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि **मैसर्स एस.आर पवॉयल्स् एण्ड टिशयु लि.** (परिसमापन के अधीन) के हितधारकों की परिवर्तित/संशोधित सूची माननीय एनसीएलटी, प्रधान बैंच, नई दिल्ली के पास 27 नवम्बर, 2020 को ई–फाइलिंग के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परिवर्तित/संशोधित हितधारकों की सूची, जिसमें परिसमापक द्वारा समय समय पर स्वीकार की गई राशि का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, परिसमापक के आईपीई की वेबसाइट "http://www.arck.in" पर देखी जा सकती है

हितधारकों को आगे अधिसूचित किया जाता है कि हितधारकों की सूची में माननीय एनसीएलटी, प्रधान बैंच, नई दिल्ली के पास प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों में संशोधन और वृद्धि माननीय एनसीएलटी, प्रधान बैंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2020 को स्वीकार कर ली गई है।

हस्ता/–
अनिल कोहली
परिसमापक: मैसर्स एस.आर पवॉयल्स् एण्ड टिशयु लि.
पंजीकरण नंबर IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-18/10219
पता: एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16, के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, ईमेल: insolvency@arck.in

तिथि : 11-12-2020
स्थान : नई दिल्ली

अपने स्थिति रिपोर्ट में देना होगा।

हाईकोर्ट ने सभी को दिया आदेश

इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने सभी जांच एजेंसी जैसे दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ईओडब्ल्यू, डीआरआई, एनआईए आदि को दिया है। उसने अपने रजिस्ट्रार जनरल से इस आदेश की प्रति सभी जांच एजेंसियों एवं अदालतों को भेजने का निर्देश दिया है जिससे वे इस पर अमल कर सके।

हाईकोर्ट ने यह आदेश गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश के आधार पर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने जांच करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं सरकारी वकील को जिम्मा सौपा कि जब भी वह अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें तब आरोपी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक का पूरी जानकारी दें। उसी तरह का आदेश राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पारित किया है और उसने आरोपी की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सरकारी वकील पर को सौपा है। उसने सरकारी वकील से कहा है कि वह आरोपी के बारे में पूरी जानकारी